नीलाम की सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बाह्य न्यायालय नजीबाबाद के न्यायालय परिसर में स्थित चाय व नाश्ते की कैन्टीन व फोटो स्टेट का सार्वजनिक नीलाम वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए बाह्य न्यायालय परिसर नजीबाबाद में दिनांक –30.03.2024 को सायं 4.30 बजे नीलाम समिति बाह्य न्यायालय नजीबाबाद के समक्ष किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति समय पर आकर बोली लगा सकते हैं। बोली बोलने से पूर्व बोली लगाने वाले व्यक्ति को अंकन 10,000/–रुपये जमानत के रूप में जमा करने होंगे।

नीलाम की शर्तें

1–यह कि कैंटीन की सरकारी बोली अंकन 1,72,700/–रुपये(एक लाख बहत्तर हजार सात सौ रुपये) मात्र होगी।

2–फोटो स्टेट मशीन की सरकारी बोली अंकन 1,12,200/–रुपये(एक लाख बारह हजार दो सौ रुपये) होगी।

3–अधिकतम बोली माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदन के बाद ही स्वीकृत मानी जाएगी।

4–अधिकतम बोलीदाता के हक में नीलाम छोड़ा जाएगा।

5–अधिकतम बोलीदाता के द्वारा नीलाम की धनराशि का आधा भाग तुरन्त जमा करना होगा। जमा न करने की दशा में अग्रिम जमानत राशि जब्त हो जाएगी।

6–ठेकेदार को नीलाम की अवशेष धनराशि दो समान किश्तों में क्रमशः दिनांक–30.09.2024 एवं दिनांक–31.12.2024 को जमा करनी होगी। यदि उक्त धनराशि समयावधि के अंतर्गत जमा नहीं की जाती है तो इस अवशेष धनराशि की वसूली भू–राजस्व के रूप में जमा की जाएगी तथा ठेका निरस्त कर दिया जाएगा।

7–ठेकेदार को प्रत्येक सामग्री पर गुणवत्ता का विशेष ध्यान देना होगा।

8–ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री/बासी सामान नहीं बेचा जाएगा, अन्यथा उसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर कानूनी कार्यवाही करके उसका ठेका निरस्त कर दिया जाएगा।

9–ठेकेदार कैन्टीन प्रत्येक कार्य दिवस को तथा लोक अदालत के आयोजन के दिवस में भी खोलेगा।

10–ठेकेदार कैन्टीन के बाहर कूड़ा आदि एकत्रित नहीं करेगा। सफाई की व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित करेगा। पानी व बिजली की व्यवस्था भी स्वयं करेगा।

11–ठेका अवधि के दौरान यदि कोई राजकीय क्षति होती है तो उसका ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।

12–ठेकेदार किसी प्रकार के तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटका, पान आदि नहीं बेचेगा। यदि बेचते हुए पाया गया तो उसका ठेका निरस्त करके कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

13–बोली बोलने वाले प्रत्येक आवेदक को 10,000/–(दस हजार रुपये) जमानत की राशि अग्रिम रूप से जमा करनी होगी, जो कि ठेके राशि में समायोजित हो जाएगी।

14–ठेकेदार कैन्टीन को किसी अन्य उप–ठेकेदार को नहीं देगा।

15–बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की जाएगी, उसको अपना एक नवीनतम फोटो व आई.डी. देनी होगी।

दिनांक–27.03.2024

(एकलव्य सरोज)
अध्यक्ष, नीलाम समिति,
सिविल जज(जू०डि०),
नजीबाबाद, बिजनौर।

नीलाम की सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए बाह्य न्यायालय नजीबाबाद में स्थित कैन्टीन व फोटो स्टेट दुकान की नीलामी दिनांक–30.03.2024 को सायं 4.30 बजे स्थान न्यायालय परिसर नजीबाबाद में किया जाएगा। नीलाम की शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 5.00 बजे के मध्य नजारत बाह्य न्यायालय नजीबाबाद में तथा जनपद न्यायालय की वेबसाईट **bijnor.dcourts.gov.in** पर प्राप्त की जा सकती है। नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति नियत समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर कार्यवाही नीलाम में भाग ले सकते हैं। नीलाम में भाग लेने वाले व्यक्ति पहचान–पत्र एवं पासपोर्ट साईज का अपना नवीनतम फोटो साथ लायें।

नीलाम होने वाले ठेकों का विवरण

1–कैन्टीन।
2–फोटो स्टेट।

दिनांक–27.03.2024

(एकलव्य सरोज)
अध्यक्ष, नीलाम समिति,
सिविल जज(जू०डि०),
नजीबाबाद, बिजनौर।

नीलाम की सूचना एवं निम्नलिखित स्थानों पर सर्व साधारण को सूचित करने हेतु चस्पा की जाए।

1–कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर।
2–कार्यालय उप–जिलाधिकारी, नजीबाबाद।
3–कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, बिजनौर।
4–कार्यालय तहसील, नजीबाबाद।
5–कार्यालय नगरपालिका परिषद्–नजीबाबाद।
6–कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बिजनौर।
7–कार्यालय जिला सूचना अधिकारी को वास्ते प्रकाशन निःशुल्क स्थानीय समाचार–पत्र।
8–सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर जनपद न्यायालय, बिजनौर को इस आशय के साथ प्रेषित की जाए कि वह नीलाम की सूचनाएं शर्तें जनपद न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

दिनांक–27.03.2024

(एकलव्य सरोज)
अध्यक्ष, नीलाम समिति,
सिविल जज(जू०डि०),
नजीबाबाद, बिजनौर।